न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 413/17 (RCMS No. 2017/00437) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामधन | पिसरान जोहराया जाति गूजरनिवासी बाढ़ मिलकरपुर तहसील गंगापुर
2. सुरजन | सिटी
3. धनपाल | पिसरान रामसहाय जाति गूजर निवासी बाढ़ मिलकरपुर तहसील
4. रामखिलाडी | गंगापुर सिंटी

.....अपीलान्टस

बनाम

1. सुजान पुत्र जोहरया जाति गूजर निवासी बाढ़ मिलकरपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. तहसीलदार गंगापुर सिटी

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 16.06.2017

उपस्थितिः—

1. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील अपीलान्टस
2. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील रैस्पो0 सं0 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नि र्ण य **दिनांक :—29.12.2017**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 16.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी ख0 नं0 23 रकवा 10 बीघा जिसके हाल ख0 नं0 85 रकवा 53 हैक्टैयर, 84 रकवा 1.08 हैक्टेयर एवं 106/396 रकवा 1.00 हैक्टेयर वॉके ग्राम खोलाई तहसील गंगापुर पर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने सुजान की सहमति से उसके सगे भाई रामसहाय, रामधन व सुरजन का नाम दर्ज किये जाने के आदेश पर्चा खतौनी (भू प्रबन्ध विभाग) की पुस्त पर दिनांक 13.10.80 को पारित कर रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध सुजान रैस्पो0 ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में इस आशय की अपील पेश की थी कि

विवादित आराजी ख0 नं0 23 वॉके ग्राम खोलाई वर्ष 1965 में सुरजन को आवंटित की गई थी। आवंटन के बाद गैर खातेदार दर्ज किया गया। नियमानुसार सुजान को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। सुजान का फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर एएसओ गंगापुर ने रामधन, सुरजन व रामसहाय का नाम दर्ज करने के आदेश दिये जबकि भू प्रबन्ध विभाग को खातेदारी परिवर्तन करने का अधिकार नही है। भू प्रबन्ध विभाग को पूर्व की प्रविष्टि रिपीट करने का अधिकार है। एएसओ ने अधिकार क्षेत्र के बाहर आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रामधन वगैरहा को सुनकर यह माना कि सुरजन को विवादित आराजी का आवंटन हुआ था, जो उसकी स्वअर्जित भूमि है। भू प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार की प्रविष्टि परिवर्तित कर, अन्य के नाम खातेदारी परिवर्तित करने का कोई कानूनी अधिकार नही है तथा ऐसे गलत आदेशों के विरूद्ध कोई मियाद लागू नही होती है। अपील को अन्दर मियाद मानते हुऐ अपील स्वीकार कर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी का आदेश दिनांक 13.10.80 निरस्त कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अवधि बाहर अपील को अन्दर मियाद मानने में गलती की है। अपील 21 वर्ष बाद पेश की थी जो मियाद बाहर थी। विवादित आराजी ख0 नं0 23 ग्राम खोलाई सुजान रैस्पो0 व रामसहाय अपीलान्ट को आवंटित हुई थी जिसके हाल ख0 नं0 84, 85 व 106 बने हैं। एएसओ के न्यायलाय में राजीनामा हुआ था। रैस्पो0 सं0 1 की सहमति से अपीलान्ट रामधन, सुरजन व रामसहाय के नाम बहिस्सा बराबर कराये थे। राजीनामा किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नही कराया है। उनका तर्क है कि पहले भाईयों में से एक भाई के नाम आराजी को दर्ज कर दिया जाता था। इसलिये आवंटन सुजान के नाम भाईयों की सहमति से हुआ था। सभी भाईयों की सहमति थी इसीलिये सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष सभी भाईयों ने राजीनामा पेश किया। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने राजीनामा के आधार पर चारों भाईयों के नाम आराजी को दर्ज करने का आदेश दिया था। वर्ष 1980 से वर्ष 2016 तक रैस्पो0 सुजान को कोई आपत्ती नही थी। अब सुजान के मन में बदनियति आने से उसने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की थी जबकि विवादित आराजी पर सभी बहिस्सा बराबर काबिज काश्त हैं। उनका तर्क है कि रैस्पो0 सं0 1 ने दिनांक 13.10.80 को एएसओ के आदेश को चेलेन्ज करते हुऐ दावा किया था जो दिनांक 14.09.98 को मौखिक व्यक्तियों के समक्ष राजीनामा किया था। इसी कारण रैस्पो0 सं0 1 ने अपना दावा दिनांक 25.05.99 को अदम हाजरी में खारिज करा लिया था। दावा खारिज होने के बाद प्रकरण में रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर आज भी 3/4 हिस्से पर काबिज है तथा 1/4 हिस्से पर रैस्पो0 सं0 1 काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों पर गौर नही किया जिसमें अपीलान्ट खातेदार दर्ज है। एएसओ गंगापुरसिटी ने दिनांक 13.10.80 को राजीनामा के आधार पर आदेश दिया था, वह विधिसम्मत् आदेश है। इसी प्रकार जो राजीनामा दावा सं0 49/95 में रैस्पो0 सं0 1 में मौजिज व्यक्तियों के समक्ष दिया था उसको आज तक किसी भी दीवानी न्यायालय में चेलेन्ज नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.06.17 निरस्त किया जावे तथा एएसओ गंगापुरसिटी का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 13.10.80 यथावत रखा जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के आधार पर जो इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किये हैं, उन्हें निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 ने लिखित बहस पेश की जिसमें अंकित किया है कि रैस्पो0 सुजान ने एएसओ गंगापुर सिटी के आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की थी। जिसमें अंकित किया था कि विवादित आराजी ख0 नं0 23 रकवा 10 बीघा वर्ष 1965 में रैस्पो0 सुजान को आवंटित की गई थी तथा आवंटन के पश्चात राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर खातेदारी दर्ज की गई तथा तत्पश्चात नियमानुसार गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार रैस्पो0 सुजान को प्रदान किये गये थे। विवादित आराजी ख0 नं0 23 सुजान की स्वअर्जित आराजी है। इसके बाद सुजान की फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर एएसओ गंगापुर सिटी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर अपीलान्ट रामधन वगैरहा ने साज कर अपने नाम दर्ज करवा ली है। भू प्रबन्ध विभाग ने अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी को गलत रूप से अपीलान्ट के नाम दर्ज की है। जिसका उनको कोई कानूनी हक हांसिल नही है। इस कारण भी एएसओ का निर्णय प्रारम्भ से ही शून्य आदेश की श्रेणी में आता है। रैस्पो0 उक्त अलौटशुदा भूमि पर आज भी काबिज काश्त है। प्रार्थी की उक्त अलोटशुदा भूमि से अपीलान्ट या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई संबंध नही है। रैस्पो0 सुजान की जमीन हडपने की गरज से अपीलान्ट ने एएसओ से साज कर सम्पूर्ण कार्यवाही करायी है। एएसओ ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय पारित किया है। भू प्रबन्ध विभाग को केवल पूर्व में अंकित राजस्व रिकार्ड के मुताविक पुनरावृति का हक है न कि राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन का हक है। अपनी बहस के समर्थन में राजस्व मण्डल द्वारा 2013 आरआरटी (1) 226 में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया जिसमें व्यवस्था दी है कि वन्दोवस्त प्राधिकारी पूर्व की विद्यमान प्रवृष्ठि को परिवर्तित करने हेतु सक्षम नही है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये परिवर्तन बिना अधिकारिता के हैं। जैसाकि 1998 आरबीजे 274 में मत प्रतिपादित किया गया हे। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि विवादित आराजी सुजान की आवंटित स्वअर्जित आराजी है। आवंटित भूमि का वॅटवारा उसके भाईयों में नही हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी का आदेश दिनांक 13.10.80 का है। जिसके आधार पर चारों भाईयों के नाम दर्ज किया गया है। रैस्पो0 सं0 1 ने दिनांक 13.10.80 को एएसओ के आदेश को चेलेन्ज करते हुऐ दावा किया था जो जिसमें मौखिक व्यक्तियों के समक्ष राजीनामा हुआ था। इसी कारण रैस्पो0 सुजान ने अपना दावा दिनांक 25.05.99 को अदम हाजरी में खारिज करा लिया था। दावा खारिज होने के बाद रैस्पो0 ने दावा न तो पुनः नम्बर पर लिया है और न ही किसी सक्षम न्यायालय में उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है। जब एक बार रैस्पो0 द्वारा दायर दावे का निर्णय हो चुका है तो पुनः उसी आराजी बाबत् उन्हीं पक्षकारों को पक्षकार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में उन्हीं तथ्यों के पर अपील पेश की है। जिस पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। रेसज्यूकेटा लागू होने से अपील चलने योग्य ही नही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अवधि बाहर अपील को अन्दर मियाद मानने में गलती की है। रैस्पो0 ने 21 वर्ष बाद अपील पेश की थी जो स्पष्ट रूप से मियाद

बाहर थी। मियाद के संबंध में रैस्पो0 ने देरी को कण्डोन करने के जो कारण उल्लेखित किये है वे विश्वसनीय व संतोषजनक नही है। देरी को कण्डोन करने के लिये कोई न्याय संगत आधार नही है तो देरी को माफ नही किया जा सकता है। रैस्पो0 सुजान की अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी। पक्षकारों के मध्य एएसओ के न्यायलाय में राजीनामा हुआ था। रैस्पो0 सं0 1 की सहमति से ही रामधन, सुरजन व रामसहाय के नाम बहिस्सा बराबर रिकार्ड में नाम दर्ज हुआ था। राजीनामा किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नही कराया है। हम अपीलान्ट के इस तर्क से भी सहमत है कि पहले भाईयों में से एक भाई के नाम आराजी को दर्ज कर दिया जाता था। इसलिये आवंटन सुजान के नाम भाईयों की सहमति से हुआ था। सभी भाईयों की सहमति थी इसीलिये सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष सभी भाईयों ने राजीनामा पेश किया। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने राजीनामा के आधार पर चारों भाईयों के नाम आराजी को दर्ज करने का आदेश दिया था। वर्ष 1980 से वर्ष 2016 तक रैस्पो0 सुजान को कोई आपत्ती नही थी। यदि आपत्ती होती तो इतने वर्ष तक साथ साथ बहिस्सा बराबर काश्त कर रहे है तभी आपत्ती कर सकते थे। परन्तु सुजान ने इस तरह की कोई आपत्ती 21 वर्ष तक नही की है। विवादित आराजी पर सभी बहिस्सा बराबर काबिज काश्त हैं। अपीलान्ट विवादित आराजी पर आज भी 3/4 हिस्से पर काबिज है तथा 1/4 हिस्से पर सुजान काबिज है। दावा भी खारिज हो चुका है। इसलिये उसी आराजी के संबंध में पुनः अपील के माध्यम से कोई कार्यवाही नही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् नही है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.06.17 निरस्त किया जाता है। एएसओ गंगापुरसिटी का निर्णय दिनांक 13.10.80 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के आधार पर जो इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किये हैं, उन्हें निरस्त किया जावे एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.06.17से पूर्व की स्थिति को बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official